

श्रीमान् सदास्य महादेव म०प्र० राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा
निरानी प्रकरण



RS 15/-

RS 453-III/16

- 1- जयप्रकाश वैश्य तनय वैशमणि प्रसाद
- 2- रामजनम वैश्य तनय कैशमणि प्रसाद
- 3- रामराजशैय तनय जय प्रसाद वैश्य
- 4- राम कैलाश तनय जय प्रसाद वैश्य सभी निवासीगण राम गरीबीवस्ती,
तहसील चित्तौरी जिला सिमरौली म०प्र० --- आवेदकान्/निराकारण
विरुद्ध

अधि० श्री राजनीश मिश्रा,
उपराज 18-X-16
क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

- 1- कामन्ती पुत्री लाम लाल पत्नी बबुआराम वसेवार
निवासी ग्राम भलगढ, तहसील वेसर जिला सिमरौली म०प्र०
- 2- गेवती पुत्री लामलाल पत्नी अनी वसेवार, निवासी ग्राम लटिन
तहसील चित्तौरी जिला सिमरौली म०प्र०
- 3- श्रीमती अजायिया पत्नी स्व० रमार्शकर वसेवार निवासी ग्राम गांरका,
तहसील चित्तौरी जिला सिमरौली म०प्र० --- नाग गरीबनिराकारण

निरानी विरुद्ध आदेश न्याय तहसीलार
तहसील चित्तौरी वृत्त बुधमनिया जिला सिमरौली
दिनांक 8-8-16 आवत प्रकरण क्रमांक 45अ74/

014-151

अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० पुराजस्य संहितासन 1959

मा-अवर, निरानी के आधार निम्नलिखित है:-

- 1- यहदि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि प्रक्रिया व अमलसे के

2/11/5/101

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

89

प्रकरण क्रमांक R5453-IV/16

जिला-सिंगरौली

जयप्रसाद वैश्य/ जगमन्ती वैसवार

(1)	(2)	(3)
05/08/19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रजनीश मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी ना0 तहसीलदार, वृत्त दुधमनिया तहसील चितरंगी के प्रकरण क्रमांक 45/अ-74/2014-15 एवं में पारित आदेश दिनांक 08.08.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.10.19 को कलेक्टर, जिला सिंगरौली के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">(महेशचन्द्र चौधरी) सदस्य</p>	